

### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1133] No. 1133] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2006/आश्विन 5, 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2006/ASVINA 5, 1928

# गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1616(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन करती है जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i)	सचिव, गृह मंत्रालय (जिनके पास आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्र	ग है)	-अध्यक्ष
(ii)	सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग		-सदस्य
(iii)	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	•	सदस्य
(iv)	सचिव, रक्षा मंत्रालय		* सदस्य
(v)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग	· · .	– सदस्य
(vi)	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		-सर्स्य
(vii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग		-सदस्य
(viii)	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		–सदस्य
(ix)	सचिव, विद्युत मंत्रालय		-सदस्य
(x)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग		–सदस्य
(xi)	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	· .	–सदस्य
(xii)	सचिव, अंतरिक्ष विभाग		–सदस्य
(xiii)	सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग		–सदस्य
(xiv)	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास विभाग	•	-सदस्य
(xv)	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय		-सदस्य
(xvi)	चीफ ऑफ इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी	•	• –सदस्य

[फा. सं. 30/1/2006-एन डी एम-III(ए)] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1616(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes a National Executive Committee to carry out the various functions assigned to it under the said Act, consisting of the following members as specified in Sub-section (2) of Section 8 of the said Act, namely:—

<b>(i)</b>	Secretary, Ministry of Home Affairs (having administrative control of disaster management)	Chairperson	
(ii)	Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation	Member	
(iii)	Secretary, Department of Atomic Energy	Member	
(iv)	Secretary, Ministry of Defence	Member	
(v)	Secretary, Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply	Member	
(vi)	Secretary, Ministry of Environment and Forests	Member	
(vii)	Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure	Member	
(viii)	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member	
(ix)	Secretary, Ministry of Power	Member	
(x)	Secretary, Ministry of Rural Development, Department of Rural Development	Member	
(xi)	Secretary, Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology	Member	
(xii)	Secretary, Department of Space	Member	
(xiii)	Secretary, Ministry of Communications, Department of Telecommunications	Member	
(xiv)	Secretary, Ministry of Urban Development, Department of Urban Development	Member	
(xv)	Secretary, Ministry of Water Resources	Member	
(xvi)	Chief of the Integrated Defence Staff of the Chiefs of Staff Committee.	Member	
	[F. No. 30/1/2006-NDM-I		
	NAVEEN	VERMA, Jt. Secy.	

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1617(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करती है जो उक्त अधिनियम, के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण की शिक्तयों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा ।

[फा. सं. 30/1/2006-एन डी एम-III(ए)] नवीन वर्मा, संयुक्त संचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1617(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be known as the National Disaster Management Authority to discharge the powers and functions of the National Authority under the said Act.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.